



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP01455000350730V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature
ACC Name Rajnigandha Singh
ACC Code - UP14773304
Mobile No. 7355029357
LAWRACHA No. 506, Tameer Sadak District, Lucknow

Certificate No. : IN-UP01455000350730V
 Certificate Issued Date : 30-Aug-2023 11:49 AM
 Account Reference : NE-WIMPACC (SV) up14773304/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1477330498503056963052V
 Purchased by : BRIJRAJ SINGH MAHAVIDYALAY
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : BRIJRAJ SINGH MAHAVIDYALAY
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : BRIJRAJ SINGH MAHAVIDYALAY
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

Sworn and Verified before me

SATYA PRAKASH SRIVASTAVA
Advocate & Notary
Lucknow, U.P., India


I identify the deponent/executioner/g who has signed and I before me

1. This certificate should be verified at the appropriate court or court of appeal in the State/Union Territory of India issuing this certificate. The notary or the certificate who is qualified for the work in the State/Union Territory, cannot proceed.
2. The notary should be responsible for the validity of the certificate.
3. The notary should be responsible for the compliance of the law.

शपथ पत्र

हम देशराज सिंह एवं सोनी सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं मजिस्ट्रेट श्री एजूकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, शुकुलपुर, दहिलामऊ, सदर, जिला प्रतापगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं कि:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट श्री एजूकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, शुकुलपुर, दहिलामऊ, सदर, जिला प्रतापगढ़ द्वारा बृजराज सिंह महाविद्यालय, सराय उगई, नेवादा गौराहांड, पोस्ट राजापुर रैनिया, तहसील सदर, जिला प्रतापगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट श्री एजूकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, शुकुलपुर, दहिलामऊ, सदर, जिला प्रतापगढ़ के नाम में गाटा संख्या 259, 223 ग, 230/232, 12/13 रकबा क्रमशः 1.296, 0.506, 0.255, 0.101 हेक्टेयर भूमि (कुल रकबा 2.158 हेक्टेयर भूमि) है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 259 रकबा 1.296 हेक्टेयर भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने की प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 19/05/2023 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं


SATYA PRAKASH SRIVASTAVA
Advocate & Notary
Lucknow LLP, India

पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/ सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/ महाविद्यालय/ आई.टी.आई आदि का संचालन न पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।


10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मोसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र आरंभ होने के पूर्व कर लिया जायेगा।


12. यह कि शासन/ परिषद द्वारा निर्गत आदेशों/ निर्देशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा झूठे पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

सोनी सिंह
(हस्ताक्षर सचिव)


(हस्ताक्षर अध्यक्ष)

Sworn and Verified
before me


SATYA PRAKASH SRIVASTAVA
Advocate & Notary
Lucknow LLP, India